For immediate release

49वीं सीएसी बैठक में एफएसएसएआई के सीईओ ने उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों पर देशव्यापी सख्त कार्रवाई का आह्वान किया

खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एफएसएसएआई ने राज्यों से भर्ती प्रक्रिया तेज करने और डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली को अपनाने का आग्रह किया

Press Release

गंगटोक, सिक्किम; 2 मार्च 2026: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजित पुनहानी ने गंगटोक, सिक्किम में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (CAC) की 49वीं बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हुएजमीनी स्तर पर प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने का आग्रह किया।

खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (CFS) और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री पुनहानी ने दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, मसाले तथा शहद जैसी उच्च जोखिम वाली वस्तुओं में जोखिम-आधारित निरीक्षण और निरंतर निगरानी अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गैर-अनुपालन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के विरुद्ध सख्त और स्पष्ट कार्रवाई करने का आह्वान किया तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने और की गई कार्रवाई की नियमित जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रवर्तन और उसके परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण उल्लंघनों को रोकने तथा उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सीईओ ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कार्यबल को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पदों की रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन प्रवर्तन की तीव्रता बनाए रखने और जिलों में निरीक्षण कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को दोहराते हुए श्री पुनहानी ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और समय-समय पर उच्च स्तरीय समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की चिंताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और प्रवर्तन कार्रवाइयों की पारदर्शी जानकारी साझा करने से जवाबदेही और जनविश्वास में वृद्धि होगी।

बैठक में केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा प्रवृत्तियों पर विश्वसनीय राष्ट्रीय स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए एफएसएसएआई और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार-विमर्श किया गया। साथ ही लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर चर्चा हुई ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके और नियामकीय निगरानी भी मजबूत बनी रहे।

इस अवसर पर एफएसएसएआई के कार्यकारी निदेशक श्री यू.एस. ध्यानी; कार्यकारी निदेशक (सीएस) एवं सलाहकार डॉ. सत्येन कुमार पांडा; तथा सिक्किम सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री Tshewang Gyachho भी उपस्थित थे। बैठक में लगभग 110 अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त (CFS), एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारी, तथा खाद्य उद्योग, कृषि क्षेत्र, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

49वीं सीएसी बैठक ने एफएसएसएआई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक मजबूत, प्रवर्तन-आधारित और उपभोक्ता-केंद्रित खाद्य सुरक्षा तंत्र के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया, ताकि देशभर में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

****